प्रीलिम्स फैक्ट्स: 16 अगस्त, 2018

न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर बनी विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण की अध्यक्ष

न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर ने विद्युत मंत्रालय में विद्युत् अपीलीय न्यायाधिकरण की अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले श्रीमती न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर बॉम्बे हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थीं।

- श्रीमती न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर का जन्म कर्नाटक में 5 दिसंबर, 1955 को हुआ।
- वर्ष 1977 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंग्लैंड के वारविक विश्वविद्यालय में महिला-पुरुष समानता से जुड़े विषय के साथ-साथ कानून की फेलोशिप के लिये भेजा।
- वर्ष 2013 में श्रीमती न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर को कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई।
- न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर कलकत्ता उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं।

विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण

- विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण सांविधिक निकाय है जिसे नियामकीय आयोग और अधिनिर्णय अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई के उद्देश्य हेतु गठित किया गया।
- इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 110 के तहत 7 अप्रैल, 2004 को किया गया।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

रेखा शर्मा बनी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष

रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2017 में पूर्व अध्यक्ष ललिता कुमारमंगलम के पद छोड़ने के बाद से वह इस पद कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही थीं।

राष्ट्रीय महिला आयोग

- राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women -NCW) भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है।
- यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिये कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है।
- आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक थीं।

चिल्का झील में प्रस्तावित एयरोड्रोम परियोजना का विरोध

- केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने चिल्का झील में एयरोड्रोम स्थापित करने के लिये एक पायलट प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी।
- ग्रीन नोबेल पुरस्कार विजेता और पर्यावरण कार्यकर्ता प्रफुल्ल समंतारा ने कहा कि चिल्का झील में प्रस्तावित एयरोड्रोम परियोजना का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विरोध किया जाएगा।
- प्रफुल्ल समंतारा के संगठन का नाम 'लोक शक्ति' है।
- प्रफुल्ल समंतारा 'ग्रीन नोबेल' के नाम से लोकप्रिय पुरस्कार को जीतने वाले भारत के छठे व्यक्ति हैं।

- यह पुरस्कार दुनिया के छह मानव सभ्यता वाले इलाकों अफ्रीका, एशिया, यूरोप, द्वीप एवं द्वपिीय देश, उत्तरी अमेरिकि और दक्षणिी एवं मध्य अमेरिकि में ज़मीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को दयिा जाता है।
- एयरोड्रोम एक ऐसी जगह या क्षेत्र है जहाँ से छोटे वमािन उड़ान भर सकते हैं या लैंडगि कर सकते है।
- चल्लिका एशयिा का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है, जहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षयिों का आगमन होता है।
- इसे रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की प्राकृतकि आर्द्रभूमि भी घोषति कयिा गया है।

'पूर्वोत्तर सर्कटि वकिासः इम्फाल और खोंगजोंग' परयिोजना

- मणपिुर की राज्यपाल डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला ने इंफाल में पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत "पूर्वोत्तर सर्कटि वकिासः इम्फाल और खोंगजोंग" परयिोजना का उद्घाटन कयिा।
- स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शुरू की जाने वाली यह पहली परयिोजना है।
- स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में लॉन्च की गई थी और अब तक मंत्रालय ने योजना के अंतर्गत 29 राज्यों तथा केन्द्रशासति प्रदेशों के 5708.88 करोड़ रुपए की 70 परयिोजनाओं को मंज़ूरी दी है।
- इस परयिोजना की लागत 72.30 करोड़ रुपए है और पर्यटन मंत्रालय ने सतिंबर, 2015 में इसकी स्वीकृति दी थी।
- इस परयिोजना में दो स्थलों कांगला फोर्ट तथा खोंगजोंग को कवर कयिा गया है।
- मंत्रालय की दोनों योजनाओं को मलिाकर 15 परयिोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जो सभी पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करती हैं।

ऑस्ट्रेलयिा ने भारत से बच्चे गोद लेने की प्रक्रयिा बहाल करने का फैसला कयिा

- ऑस्ट्रेलयिा सरकार ने हेग संधि की व्यवस्थाओं के तहत भारत से बच्चों को गोद लेने की प्रक्रयिा बहाल करने का फैसला कयिा है।
- बच्चों को दूसरे देशों में गोद देने का काम करने वाली कुछ पंजीकृत भारतीय एजेंसयिों के बच्चों की तस्करी में लपि्त होने की खबरों के बाद ऑस्ट्रेलयिा सरकार ने भारत से बच्चों को गोद लेने की प्रक्रयिा पर आठ साल पहले रोक लगा दी थी।
- भारत सरकार ने कशिोर न्याय कानून 2015 लागू करके तथा गोद लेने की प्रक्रयिा 2017 की अधसिूचना जारी कर दूसरे देशों में बच्चों को गोद देने की प्रक्रयिा को सख्त बना दयिा है।
- बच्चों को गोद लेने की प्रक्रयिा बहाल करने के लयिे केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधकिरण (कारा) तथा महलिा और बाल वकिास मंत्रालय की ऑस्ट्रेलयिा सरकार के साथ लगातार वार्ता जारी है।

केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधकिरण

- यह महलिा एवं बाल वकिास मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांवधिकि नकिाय है।
- यह भारतीय अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, देखभाल करने एवं गोद देने के लयिे एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधकिरण को भारतीय बच्चों को भारत में एवं अंतर-देशीय स्तर पर गोद लेने संबंधी प्रक्रयिा को मॉनटिर एवं वनियिमति करने का अधदिश प्राप्त है।
- केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधकिरण को हेग कन्वेंशन 1993 के अनुसार, अंतर-देशीय स्तर पर गोद लेने संबंधी प्रक्रयिा वनियिमति करने हेतु केंद्रीय प्राधकिरण बनाया गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/prelims-fact-16-08-2018